



6101

दूसरा 2286709
2286710

नव बंगला कल्याण, 40 अशोक नगर, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : ५७७३ / ०५/७६/एक/२०१५-१६
सेवा में,

दिनांक : ३ मार्च 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण

जनपद-रामपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूड़ा) को अल्पसंख्यक वाहुल्य वरितयों तथा मालिन वस्तियों में स्थीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहुल्य वरितयों तथा मालिन वस्तियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0932000105034436	IFSC Code PUNB0093200	41.175 (धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मालिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०५० रामपुर	रीजनी नानकार रो नैनीताल हाइवे विलारापुर मेट तक नाली निर्माण कार्य।	41.175
	योग				41.175

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहुल्य वरितयों तथा मालिन वरितयों में री०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्थीकृत डी०पी०आ०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्यक्ष दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जायें।

- १- उप्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहुल्य वरितयों तथा मालिन वरितयों में री०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्थीकृत डी०पी०आ०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्यक्ष दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जायें।
- २- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना रामबन्धित नगर निकाय पूर्व अन्य विभागों रो रामनव रथापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- ३- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर राष्ट्रम स्तर से तकनीकी स्थीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जायें।
- ४- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र रो धनराशि स्थीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शारीरीय धन का दुखलयोग न होने पाये, अन्यथा की विधि में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- ५- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जाये उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाच्यता के अन्तर्गत यदि कार्य स्थीकृत/अनापाति अन्य विभागों रो लगा हो तो, सुनिश्चित किया जायें।
- ६- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्थीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरितका के सुरागत प्रावेद्यानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जायें।
- ७- परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें रामबन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुक्ति रख-स्थावर में कोई वाधा उत्पन्न न होने/पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।



610/2

दस्तावेज़: 2286709

2286710

नव घाना कैन्ड, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 220001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उत्तर प्रदेश

- 8— योजनान्तर्मत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015–16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभियान को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त संपर्योगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभियान को नहीं प्राप्त होती है तो शारन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्मत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार गिहित मद में व्यय की जायेगी एवं रवीकृत परियोजनान्तर्मत कार्य कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही रामय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्ण यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय कर्त्ता की स्त्रोत पर कठीनी सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययदर्तन अनुगम्य न होगा, शारन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभियान मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संघुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शारन द्वारा उक्त परियोजना में आगाम के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुगम्य रोन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति रहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभियान को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(ललित प्रताप सिंह)
पिता नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्बन्धित जनपद।
- अपर निदेशक, सूडा।।
- अधिकारी अभियन्ता- सूडा।।
- कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग- सूडा।।

(ललित प्रताप सिंह)
पिता नियन्त्रक